

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1396/2024, लखनऊ, दिनांक :: 02 दिसम्बर, 2024

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ - 1 गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या -415/2024 दिनांकित 29.11.2024 द्वारा अवगत कराया है कि दिल की गम्भीर बीमारी होने के कारण दिनांक 09.12.2024 से 12.12.2024 तक मुजफ्फरनगर में गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं और उक्त युगल पीठ से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उत्तर प्रदेश वैट नियमावली - 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह दिसम्बर, 2024 हेतु आदेश सं0 1284/2024 दिनांक 04.11.2024 द्वारा गठित युगल पीठ का आंशिक संशोधित आदेश निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क0सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1	पीठ-गाजियाबाद	पीठ-गाजियाबाद	दि0 09.12.2024 से 12.12.2024	सदस्य, पीठ 1 गाजियाबाद सदस्य, पीठ 2 गाजियाबाद न्यायिक विभागीय
2	पीठ मुजफ्फरनगर	पीठ मुजफ्फरनगर	दि0 09.12.2024 से 12.12.2024	सदस्य, पीठ 1 मेरठ सदस्य, पीठ -3, कानपुर न्यायिक विभागीय

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

ह/-02.12.2024

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- 1 व 2, गाजियाबाद तथा पीठ-1, मेरठ एवं पीठ-3, कानपुर।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।